आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

25.3.17

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, अररिया

जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0 – 203/2016–17

मो0 कलाम व मो0 सलाम, पिता–स्व0 रिहाद, ग्राम–कोशकीपुर, थाना–अररिया, जिला–अररिया

बनाम

1. मो0 रफीक वो सिद्दिक वो बीबी लैली वो बीबी औराही, सभी पिता–स्व0 कबीर उद्दीन
2. बीबी जुवेदी वो बीबी अफरोजा, पति/पिता–स्व0 शेख नजीर उद्दीन
3. म0 अजीम उर्फ अब्दुल, मो0 मोख्तार, बीबी फिरोजा, बीबी कौशरी, सभी पिता–स्व0 शेख महमूद
4. मो0 सरीना वो बबलू वो मो0 अफसार वो मो0 अनसार, सभी पति/पिता–स्व0 इद्रीस

सभी सा0–कोशकीपुर, पो0–रामपुर मोहनपुर, थाना–अररिया, जिला–अररिया

आदेश

प्रस्तुत जमाबंदी रद्दीकरण वाद आवेदक मो0 कलाम वो मो0 सलाम, पिता–स्व0 रिहाद, ग्राम–कोशकीपुर, थाना–अररिया, जिला–अररिया के द्वारा अंचलाधिकारी, अररिया के समक्ष दाखिल आवेदन के क्रम में अंचलाधिकारी, अररिया द्वारा जाँचोपरांत अपने पत्रांक 1090, दिनांक 07.04.2016 द्वारा निम्न विवरण की जमीन का जमाबंदी रद्द करने हेतु अभिलेख सं0 02/2013–14 / 23/2014–15 संधारित कर अपनी अनुशंसा सहित इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

वादग्रस्त भूमि का विवरण

मौजा	थाना नं0	खाता	खेसरा	कुल रकवा
बसंतपुर	206	1802	6336	0.75 ए0
			6339	0.31 ए0
				कुल 1.06 ए0

न्यायालय द्वारा पक्षकारों को सूचना निर्गत की गई। प्रथम पक्ष उपस्थित हुए किन्तु द्वितीय पक्ष के सदस्य सूचनोपरांत अनुपस्थित रहें। पुनः डाक द्वारा भी सूचना दी गई, किन्तु पश्चात् विपक्षीगण की ओर से कोई उपस्थिति दर्ज नहीं की गई। तत्पश्चात वाद की एक पक्षीय सुनवाई की गई।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत भूमि का सर्वे खतियान आवेदक के पिता शे0 रिहाद के नाम दर्ज है तथा जिसका जमाबंदी सं0 1802 दर्ज

होकर लगान रसीद वर्ष 1995–96 तक का भुगतान है। किन्तु वर्ष 1995–96 में हीं बिना नामान्तरण वाद के हाजी शे0 कबीर उद्दीन, पिता–हाजी उसमान, सा0–कोशकीपुर के नाम से आवेदक के जमाबंदी को घेरकर दर्ज कर लगान रसीद निर्गत कर दिया गया है। जिसकी विस्तृत जाँच कर विज्ञ अंचलाधिकारी, अररिया द्वारा आवेदक के दावे को सही पाकर जमाबंदी सं0 1802 पर उक्त विपक्षी के नाम को विलोपित करने की अनुशंसा की गई है।

इनका यह भी कहना है कि अंचलाधिकारी द्वारा उपस्थित ग्रामीणों के बीच स्वयं स्थल जाँच की गई है और स्थल जाँचोपरांत उपस्थित ग्रामीणों के बयान भी लिया गया है और आवेदकगणों का प्रश्नगत भूमि पर दखल–कब्जा पाया गया है। विपक्षीगण उक्त भूमि पर कभी भी दखल–काबिज नहीं हुए है। अतः विपक्षी के नाम दर्ज जमाबंदी को रद्द करने का अनुरोध करते है।

विपक्षीगणों के अनुपस्थित रहने तथा सुनवाई में भाग नहीं लेने के कारण उनका पक्ष नहीं सुना जा सका, किन्तु अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा उपस्थित होकर अपना प्रतिउत्तर दाखिल किया गया। जिसके अनुसार उनके पूर्वजों द्वारा गलत सर्वे खतियान के विरूद्ध स्वत्व वाद सं0 3990/1964 मान्नीय मुंसफ न्यायालय, अररिया में दाखिल किया गया। संधि पत्र के आधार पर न्यायालय द्वारा दिनांक 05.02.1973 को उनके पूर्वज कबीर उद्दीन के पक्ष में डिग्री दी गई, जिसके आधार पर मूल जमाबंदी सं0 1802 जो शेख रिहाद के नाम से दर्ज था, उसे खारिज कर शेख कबीर उद्दीन के नाम दर्ज हुआ। तत्पश्चात अद्यतन लगान रसीद उनके पूर्वजों के नाम निर्गत हुआ। अतः इस प्रकार जमाबंदी सुधार करने का कोई प्रश्न नहीं उत्पन्न होता है। परन्तु अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य से स्पष्ट है कि स्वत्व वाद सं0 3990/1964 दिनांक 03.06.1998 को खारिज किया जा चुका है।

अतः उपरोक्त साक्ष्यों एवं दखल–कब्जा के आधार पर स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि का आर0एस0 सर्वे खतियान आवेदकगणों के पूर्वजों के नाम से इन्द्राज है तथा उनके पूर्वज के नाम जमाबंदी सं0 1802 दर्ज होकर वर्ष 1995–96 तक लगान रसीद निर्गत है। वर्ष 1995–96 में तत्कालीन् राजस्व कर्मचारी द्वारा अवैध रूप से आवेदक के पूर्वज के नाम को घेर कर बिना नामान्तरण वाद सं0 के विपक्षीगणों के पूर्वजों कबीर उद्दीन का नाम दर्ज कर लगान रसीद निर्गत कर दिया गया है। जहाँ तक स्वत्व वाद सं0 3990/1964 का प्रश्न है तो वह Misc. वाद सं0 24/98 / 55/99 दिनांक 14.06.2001 को खारिज हो चुका है तथा प्रश्नगत भूमि पर विपक्षीगणों का दखल–कब्जा भी नहीं है।

अतः जमाबंदी सं0 1802 में अवैध तरीके से दर्ज विपक्षी के पूर्वजों के नाम को विलोपित किया जाता है तथा अंचलाधिकारी, अररिया को आदेश दिया जाता है कि जमाबंदी सं0 1802 को पूर्ववत कायम कर आवेदकगणों के नाम दर्ज कर लगान रसीद

निर्गत करना सुनिश्चित करें।

पारित आदेश की प्रति एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख अनुपालनार्थ अंचल अधिकारी, अररिया को वापस करें।

लेखापित एवं संसोधित

ह०—
अपर समाहर्त्ता,
अररिया

ह०—
अपर समाहर्त्ता,
अररिया

ज्ञापांक 25 /रा0(न्या0), अररिया, दिनांक 25 / 03 /2017

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, अररिया को जमाबंदी सुधार वाद सं0 02/2013–14 / 23/2014–15 (मो0 कलाम एवं अन्य) मूल के साथ अनुपालनार्थ प्रेषित।

25.3.17
अपर समाहर्त्ता,
अररिया